राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान सहाय / शिवचरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की वादी/रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर उसमे एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 3 लगायत 11 मुख्य रूप से सजरा खानदान अंकित करते हुये एस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 एक ही परिवार के सदस्य है तथा ग्राम इटावा भोपजी तहसील चौमु में प्रार्थी के दादा किशन के नाम पुश्तैनी भूमि है जिसके साबिक खसरा नम्बर 407 लगायत 412, हाल खसरा नम्बर 1477 लगायत 1481 कुल किता 5 कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर है जिसमे प्रार्थीगण का 1/10-1/10 अर्थात 1/5 भाग जन्म से ही निहित है। प्रार्थीगण अपने हक़ हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि का बैचान करना चाहता है। प्रार्थना पत्र के उक्त में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की ईस्तदुआ चाही गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिसेज जारी किये गये एवं दिनांक 05/01/2015 की आदेशिका तक अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश होना एवं अप्रार्थी संख्या 1,9,10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने व शेष अप्रार्थीगण की तलबी पुन: जारी करने का अंकन कर उपस्थित उभयपक्ष की बहस समायत कर अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तक वादी के 1/5 हिस्से तक विवादित आ.ख.न. 1477 लगायत 1481 कुल किता 5 कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम इटावा भोपजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसमे रेस्पो. के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अभिभाषक अपीलांट की इकतरफा बहस समायत की गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया की अपीलार्थी वाद आराजीयात की	

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हनुमानसहाय / शिवचरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
4194/2019		2

रिकार्डेड खातेदार है एवं उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मौजूद होने पर भी एक रिकार्डेड खातेदार को अपीलाधीन आदेश के माध्यम से गलत रूप से प्रतिबन्धित फरमा दिया गया है जो विधिसम्मत नही है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया की वादीगण भूमि के ना तो रिकार्डेड खातेदार है एवं ना ही उनका कोई कब्जा है ऐसे वादीगण का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव में पोषणीय ही नही था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश गलत रूप से पारित किया है जिसे निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की तामिल गलत रूप से करवा कर अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 05/01/2015 को एकपक्षीय कार्यवाही करवा ली, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर उसके द्वारा दिनांक 04/01/2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक निस्तारित नही कर अपीलाधीन आदेश को निरन्तर कायम रखा गया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने जाहिर किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। जिसको निरस्त करवाने अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया हुआ है। जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है एवं इस सन्दर्भ में यह न्यायालय कोई संज्ञान नही ले सकता। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सर्वप्रथम एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करवाये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील को निरस्त करवाने हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान सहाय / शिवचरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
494/2019	3	

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाकर न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किया जाता है उनके समक्ष विचारधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी का शीघ्रता से निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/9/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर